Point of Order

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I have a point of order.

माननीय अध्यक्ष **:** मैं आपको एक मिनट बाद बोलने दूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं सभी अनुदानों की बकाया मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए हुए माने गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के सामने मतदान के लिए रखता हूँ ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष **:** एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, अब आप बोलिए ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much. My point of order is in respect of Rule 331G (d) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. This House is going to approve, and is giving approval for Rs.47,41,250 crore. Within seconds, we are granting it.

Sir, my point is about the Departmentally Related Standing Committees. There is a specific provision in the Rule ? ?Procedure Relating to Demands for Grants?. Sir, Clause (d) says that the Demands for Grants shall be considered by the House in the light of the reports of the Committees.

It is quite unfortunate to note that most of the Departmentally Related Standing Committees have not submitted their reports so far. Without having the reports, we are making the discussions and we are considering the Demands. It is not proper and fair. At least, I am seeking a ruling from the hon. Speaker. At least, a Direction be given that the Standing Committees should submit their reports before the Demands are taken up for consideration.

Sir, this is my point of order. Kindly have a ruling on this. Thank you.

माननीय अध्यक्ष **:** एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आपने जो विषय उठाया है, पूर्व में भी इस तरह की परंपरा रही है और इस विषय पर मैं सदन ध्यान रूल 221 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें अध्यक्ष वित्त कार्य को समय पर पूरा करने के लिए नियत समय पर सभी अवशिष्ट विषयों को सभा के मतदान के लिए रख सकते हैं । कार्यमंत्रणा समिति के अंदर शाम को छ: बजे गिलोटीन का समय निश्चित हुआ था । इसको देखते हुए मैंने पूर्व की

प्रक्रियाओं को और पूर्व की परंपराओं को शामिल करते हुए और भविष्य में क्योंकि हमारे दूसरे सदन की भी कई कमेटियां होती हैं, इसलिए भविष्य में सभी कमेटियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर अपनी कमेटियों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करें।

-

18.01 hrs